झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

784

पत्रांक :– वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)रा0--17 / 10 / राँची, दिनांकः–

संकल्प

विषय : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन डिग्री स्तरीय, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप, AICTE) द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान (संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, कैरियर संवर्धन स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू करने के संबंध में।

विभाग के अधीन डिग्री स्तरीय राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बी0आई0टी0 सिन्दरी के शिक्षकों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप, AICTE) नई दिल्ली के पत्रांक एफ०–1–65 / सी०डी० / एन०आई०सी० / 98–99 दिनांक 15.03.2000 एवं भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पत्रांक 37–104 / 98 टी0एस0–11 दिनांक 14.01.1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान (सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित) दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से विभागीय राज्यादेश संख्या 747 दिनांक 02.06.2003 एवं समय–समय पर किये गये संशोधन के अनुसार लागू है।

2. षष्ट्म वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी श्रेणी के केन्द्रीय कर्मचारियों एवं संस्थानों / विभागों के पदाधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप, AICTE), नई दिल्ली के पत्रांक F.No. 37-3/Legal/2010, दिनांक 13.03.2010 एवं भारत सरकार के अधिसूचित विनियम राजपत्र असाधारण (भाग– III खंड–4) एवं दिनांक 14.05.2010 को प्रकाशित शुद्धिपत्र के द्वारा स्नातक स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों एवं अभातशिप वेतनमान प्राप्त कर रहे शिक्षकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान, नियुक्ति, प्रोन्नति (वृत्ति उन्नयन योजना), ऐकेडमिक ग्रेड पे (ए.जी.पी.) सेवा निवृत्ति की आयु एवं अन्य सेवा शर्त्तों की अनुंशंसा की गई है। इस गजट को "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" {तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्त और अहर्त्ताए} विनयम– 2010 कहा गया है।

3. उक्त विनियम के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2010 की अवधि में अभियंत्रण महाविद्यालय में दिनांक 01.01.2006 के भरे हुए पदों पर संबंधित शिक्षकों के लिए पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व की भांति दिये जाने का प्रावधान है तथा शेष 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति 01.01.2006 के पश्चात् हुई हो उनके वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय वित्तीय भार का 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

4. राज्य सरकार के द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन डिग्री स्तरीय राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (अभातशिप/AICTE), नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित वेतनमान संवर्गीय संरचना, संकाय मानदंड, नियुक्ति की प्रक्रिया, कैरियर संवर्धन (एडवान्समेन्ट) स्कीम तथा अन्य सेवा शर्त्तों एवं बंधेजों सहित (सेवा निवृति की आयु सीमा छोड़कर) को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से निम्नवत लागू करने का निर्णय लिया गया है।

5 सामान्य :–

(i) तकनीकी महाविद्यालय में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, अर्थात सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्राध्यापक। तथापि विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय कर्मियों के संबंध में वर्त्तमान पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(ii) प्राध्यापक के रूप में नियुक्त होने, प्रोन्नत होने अथवा पदनामित होने के लिए कोई भी तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह पीएच०डी० धारण नहीं कर लेता है तथा अभातशिप (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्धारित अन्य शैक्षणिक शर्त्तों की पूर्ति नहीं करता है। तथापि यह बात उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें पहले ही प्राध्यापक के रूप में पदनामित किया गया है।

(iii) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप "एकेडमिक ग्रेड पे" (संक्षेप में ए.जी.पी.) के साथ रू0 15600–39100 तथा रू0 37400–67000 के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जाऐंगे। प्रत्येक वेतन बैंड एकेडमिक ग्रेड पे की विभिन्न अवस्थाएं होगी जो सुनिश्चित करेगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास अर्हता की अन्य शर्त्तों की पूर्ति के अध्यधीन उनके कैरियर के दौरान उर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं।

(iv) प्राध्यापक के पद स्नातक पूर्व (यू.जी.) तथा साथ ही स्नातकोत्तर (पी.जी.) संस्थाओं में सृजित किए जाऐंगे। किसी यू.जी. कॉलेज में प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक का अनुपात सामान्यतः 1:2:6 तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और/या सहायक प्राध्यापाक के अनुपात साधारणतया 1:2 होगा तथा शिक्षकों एवं छात्रों का अनुपात AICTE द्वारा समय–समय पर निर्धारित अनुपात के अनुसार होगा।

(v) तकनीकी संस्थाओं में प्राध्यापक के 10 प्रतिशत तक पद रू0 12000 के उच्च ए.जी.पी. में होंगे जिनके लिए अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली पात्रता शर्त्तें लागू होंगी।

6 अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित (पुनरीक्षित) वेतनमान, सेवा शर्त्तें तथा कैरियर संवर्धन (एडवान्समेन्ट) के अन्तर्गत वेतन संरचना नीचे दर्शाये गए अनुसार होगी :–

(क) तकनीकी संस्थानों (डिग्री स्तरीय) में सहायक प्राध्यापक/सह प्राध्यापक/प्राध्यापक :

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण कार्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सहायक प्राध्यापक के रूप में पदनामित किया जाएगा तथा उन्हें रू0 6000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में रखा जाएगा। रू0 8000–13500 के पूर्व संशोधित वेतनमान में पहले से ही सेवारत व्याख्याताओं को उक्त रू0 6000 (AGP) के साथ सहायक प्राध्यापक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा।

(ii) 4 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने वाला सहायक प्राध्यापक, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र मे पीएच०डी० डिग्री धारित हों, रू0 7000 के ए.जी.पी. में रखे जाने के लिए पात्र होगें।

(iii) प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में, जैसा कि तकनीकी शिक्षा में परिभाषित है, निष्णात (स्नाकोत्तर) डिग्री धारण करने वाला सहायक प्राध्यापक के रूप में 5 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत रू0 7000 के ए॰जी॰पी॰ के लिए पात्र होगा।

(iv) ऐसे सहायक प्राध्यापक जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में पीएच॰डी॰ अथवा मास्टर डिग्री नही हैं, सहायक प्राध्यापक के रूप में 6 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरांत रू0 7000 के ए॰जी॰पी॰ के लिए पात्र होगा।

(v) सभी सहायक प्राध्यापकों के लिए रू0 6000 के ए॰जी॰पी॰ से रू0 7000 के ए॰जी॰पी॰ में उर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्त्तों की पूर्ति के अध्यधीन होगा।

(vi) व्याख्याता (वरीय वेतनमान) के पदों के पद–धारियों के वेतन (अर्थात रू0 10000–15200 अपुनरीक्षित वेतनमान) को सहायक प्राध्यापक के रूप में पुनः पदनामित किया जाएगा तथा उसे उनके वर्तमान वेतन के आधार पर रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जायेगा, जिसका ए॰जी॰पी॰ रू0 7000 होगा।

(vii) रू0 7000 के ए॰जी॰पी॰ के साथ 5 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक प्राध्यापक, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्यधीन, रू0 8000 के ए॰जी॰पी॰ में जाने के लिए पात्र होंगे।

(viii) सह–प्राध्यापकों के पद रू0 9000 ए॰जी॰पी॰ के साथ रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में होगा। सीधे भर्त्ती हुए सह प्राध्यापक को रू0 9000 का ए॰जी॰पी॰ के साथ रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में नियुक्ति की शर्त्तों के निबंधनों के अनुसार वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में रखा जायेगा।

(ix) पदधारी सहायक प्राध्यापक तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने रू0 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हैं, रू0 9000 के ए॰जी॰पी॰ के साथ रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में रखे जायेंगे तथा उन्हें सह–प्राध्यापक के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(x) पद–धारी सहायक प्राध्यापक तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने दिनांक 01.01.2006 को रू0 12000–18300 के अपुनरीक्षित वेतनमान में 3 वर्ष पूर्ण नहीं की हैं, उस समय तक रू0 8000 के ए॰जी॰पी॰ के साथ रू0 15600–39100 के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर रखें जाऐंगे, जबतक कि व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) या सहायक प्राध्यापक में 3 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते तथा उसके पश्चात उन्हें रू0 37400–67000 के उच्च वेतन बैंड में रखा जाएगा तथा तदनुसार सह प्राध्यापक पदनामित किया जाएगा।

(xi) वर्त्तमान में सेवारत व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) को तब तक यथास्थिति व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा, जब तक वे रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में नहीं रखे जाते हैं तथा उपर्युक्त (कंडिका–x) में वर्णित रीति से सह–प्राध्यापक के रूप में पुनः पदनामित नहीं किया जाता है।

726

(xii) रू0 8000 के ए.जी.पी. के साथ शिक्षण के 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक प्राध्यापक, अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अध्यधीन, रू0 9000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में रखे जाने तथा सह प्राध्यापक के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के पात्र होंगे।

(xiii) रू0 9000 के ए.जी.पी. में 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में पीएच०डी० धारण करने वाले सह–प्राध्यापक, प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा पदनामित किए जाने के पात्र होंगे। पीएच०डी० धारण करने वाले के अलावा कोई अन्य शिक्षक प्राध्यापक के रूप में प्रोन्नति, नियुक्ति अथवा पदनामित नहीं किया जाएगा। प्राध्यापक के पद के लिए वेतन बैंड रू0 10000 के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400–67000 होगा।

(xiv) सीधे भर्त्ती हुए प्राध्यापक का वेतन रू0 37400–67000 के वेतन बैंड में रू0 43000 से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा जिसमें लागू ए.जी.पी. रू0 10000 होगा।

(xv) अभातशिप (AICTE) द्वारा अनुमोदित संस्थाओं में प्राध्यापकों के दस प्रतिशत पद रू0 12000 के उच्च ए.जी.पी. में होंगे, तथापि, पदों पर नियुक्त शिक्षक प्राध्यापक के रूप में पदनामित रहना जारी रहेंगे। उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए अर्हता अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्धारित किए गए के अनुसार होगी तथा ऐसी अर्हता शर्त्तों में अन्य बातों के साथ–साथ समकक्ष पुनरीक्षा/संदर्भित शोध जर्नलों में प्रकाशन कार्य शामिल होगा तथा प्राध्यापक के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष के शिक्षण और उच्च स्तर के पोस्ट डॉक्टोरल कार्य की अपेक्षा भी शामिल होगी। रू0 12000 की ए.जी.पी. में प्राध्यापक के रूप में सीधे भर्त्ती हुए किसी भी व्यक्ति को ए.जी.पी. के साथ रू0 48000 से कम की प्रवस्था पर नियत नहीं किया जाएगा।

(xvi) सह–प्राध्यापक तथा प्राध्यापक के स्तर पर प्रारंभिक सीधी–भर्त्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्त्तें वे होंगी, जो अभातशिप (AICTE) द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाए अथवा निर्दिष्ट की गई है तथा अभातशिप (AICTE) द्वारा निर्धारित की जाएगी एवं सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत लागू माना जाएगा।

(xvii) ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उच्चतर योग्यता, शोध प्रकाशनों की उच्च संख्या तथा उपयुक्त स्तर पर अनुभव के साथ सह प्राध्यापक और प्राध्यापक के रूप में व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, अग्रिम वेतन–वृद्धियों का विवेकपूर्ण रूप से प्रदान किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय तथा नियोजन संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की समक्षता के अधीन होगा जिसके लिए संकाय में अन्य शिक्षकों की वेतन संरचना तथा अन्य विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणागुण के संदर्भ में वैयक्तिक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी।

(xviii) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन (एडवान्समेन्ट) अभातशिप (AICTE) अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक के अन्यून दो पुनःचर्या कार्यक्रमों तथा एक एक सप्ताह (प्रत्येक) के दो TEQIP प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी किए जाऐंगे।

(xix) कॉलेजों में प्राचार्यो/निदेशकों के वेतनमान :– तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्य/निदेशक के पदों के लिए नियुक्तियाँ अभातशिप (AICTE) द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हत्ताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्त्तों के आधार पर होगी तथा प्राचार्य का पद रू0 10000

के ए.जी.पी. के साथ रू0 37400--67000 के वेतन बैंड में होगा। सेवारत सभी प्राचार्यो को रू0 10000 के ए.जी.पी. साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा। अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक को रू0 3,000 विशेष भत्ता देय होगा।

(xx) उपर्युक्त अंकित कंडिकाओं पर आधारित वेतन बैंड एवं AGP (Academic Grade Pay) संबंधित पात्रता तालिका :-

क्र0	राज्य के डिग्री अभि0महा0में संप्रति नामित पद	वर्त्तमान वेतनमान (01.01.96 से लागू) राज्यादेश सं0 747 दि0 02.06.2003	A.I.C.T.E द्वारा अनुशंसित नामित पद	A.I.C.T.E द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतन बैंड (01.01.2006 से प्रभावी हेतु)	AGP (Academic Grade Pay)	अभ्युक्ति
A	B	C	D	E	F	G
1	व्याख्याता	8000--13500	सहायक प्राध्यपक	15600–39100	(i) 6000 (ii) 7000 (iii) 7000 (iv) 7000	नई नियुक्ति 4 शिक्षण वर्ष एवं Ph.D. 5 शिक्षण वर्ष एवं M.Tech/M.Phil के साथ। 6 शिक्षण वर्ष वगैर Ph.D./M.Tech/M.Phil डिग्री।
2	व्याख्याता (वरीय वेतनमान)	10000–15200	सहायक प्राध्यापक	15600--39100	7000	
3	व्याख्याता (प्रवर कोटि) या सहायक प्राध्यापक	12000--18300	सहायक प्राध्यापक या व्याख्याता (प्रवर कोटि) कंडिका x, xi के अनुसार	15600--39100	8000	दि0 01.01.2006 तक 3 वर्ष शिक्षण पूर्ण नहीं होने की स्थिति में।
4	व्याख्याता (प्रवर कोटि) या सहायक प्राध्यापक	12000–18300	सह–प्राध्यापक	37400–67000	(i) 9000 (ii) 9000	दि0 01.01.2006 तक 3 वर्ष शिक्षण पूर्ण होने पर। दि0 01.01.2006 के पश्चात जिस तिथि को रू0 8000 ए.जी.पी. पर 3 वर्ष के शिक्षण कार्य पूर्ण करते हो की तिथि से रू0 9000 का ए.जी.पी. देय होगा।
5	प्राध्यापक	16400–22400	प्राध्यापक	37400–67000	(i) 10000 (ii) 12000	कुल पद का 10 प्रतिशत को पात्रता पूरा करने पर।
6	निदेशक/प्राचार्य	18400–22400	निदेशक/प्राचार्य	37400–67000	10000	रू0 3,000 विशेष भत्ता।

(ख) पीएच0डी0/एम0टेक0 तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन :-

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम–कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय–क्षेत्र में प्रदान की गई पीएच0डी0 की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर 5 (पाँच) गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियॉं अनुमान्य होगी।

(ii) सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के समय एम0फिल0 डिग्री धारक दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन--वृद्धियॉं के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा एम0टेक0 स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियॉं के पात्र होंगे।

234

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच०डी० डिग्री पूरा करते हैं, तीन गैर–च अग्रिम वेतन–वृद्धियॉ के पात्र होंगे, यदि पीएच०डी० प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम एवं कार्य मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि सेवाकालीन ऐसे अध्यापक जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत होने के समय पीएच०डी० प्रदान की गई हैं अथवा जिन्होंने पीएच०डी० के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम–कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच०डी० प्रदान किये जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियॉ के पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच०डी० प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय द्वारा अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच०डी० के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवाकाल में पीएच०डी० प्राप्त होने पर केवल तीन गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया हैं।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्याता प्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय–क्षेत्र में एम०फिल० अथवा एम०टेक० डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन–वृद्धि के पात्र होंगे।

(ग) वेतन नियतन सूत्र :–

(i) पूर्ववर्ती खंडो में किसी बात के होते हुए भी ऐसे कर्मी जिन्होंने पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच०डी०/एम०टेक० धारण करने के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ पहले ही उठा लिया है, इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम वेतनवृद्धियों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ii) प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों के लिए जहां पूर्व स्कीम के अंतर्गत पीएच०डी०/एम०टेक० धारण करने के लिए ऐसी कोई वेतनवृद्धियों अनुमान्य नहीं थी, केवल उन्हीं नियुक्तियों को पीएच०डी०/एम०टेक० धारण करने के लिए पांच अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ उपलब्ध रहेंगे जो इस स्कीम के प्रवृत होने पर अथवा इसके पश्चात की गई है।

7 प्रभावी तिथि, वेतन–वृद्धियॉ, भत्ते, वेतन नियतन सूत्र एवं प्रायोज्यता :–

(i) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन एवं मंहगाई भत्ता दिनांक 01.01.2006 से प्रभावी होगा।

(ii) अभियंत्रण महाविद्यालयों के शिक्षकों को मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, (जहॉ अनुमान्य है।) अन्य अनुमान्य भत्ते गैर–चक्रवर्ती अग्रिम वेतन–वृद्धियॉ दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी होगा।

(iii) प्रत्येक वार्षिक वेतन–वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथा लागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा ए.जी.पी. में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(iv) प्रत्येक अग्रिम वेतन–वृद्धि भी यथा लागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा ए.जी.पी. में वेतन के कुल योग के 3 (तीन) प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर–चक्रवर्ती होगी।

(v) ए.जी.पी. की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन–वृद्धियॉं की संख्या, निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में प्रोन्नति पर वेतन–वृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार होगी, तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान रखते हुए रू0 15600–39100 के वेतन बैंड से 37400–67000 के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन–वृद्धि नहीं दी जाएगी।

(vi) केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन नियतन सूत्र को शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए अपनाया जाएगा।

(vii) वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इसकी सूचना विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, डोरण्डा, राँची को देनी होगी।

8 अन्य निबंधन और शर्त्तें :–

(i) पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत पदों पर विहित प्रक्रियानुसार नियमित रूप से नियुक्त तथा अभातशिप (AICTE) द्वारा दिनांक 01.01.1996 के प्रभाव से अनुशंसित कैरियर उन्नयन योजना के तहत दिनांक 31.12.2008 के पूर्व की देय तिथि तक प्रोन्नत शिक्षकों को ही देय होगा। दिनांक 31.12.2008 एवं इसके पश्चात देय तिथि से CAS योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोन्नति संशोधित नियमानुसार होगी।

(ii) CAS के अन्तर्गत प्रोन्नत शिक्षकों को दिनांक 01.01.2006 के उपरान्त उच्चतर ग्रेड पे में वेतन निर्धारण हेतु अभातशिप (AICTE) के अनुशंसानुसार उनके द्वारा किए गए Refresher पाठ्यक्रम आदि को यथोचित निर्धारित कोर्स में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जाएगी।

(iii) दिनांक 01.01.2006 के पश्चात अभातशिप के अनुशंसानुसार निर्धारित अवधि एवं पात्रता पूरा करने वाले शिक्षकों को वेतन बैंड एवं ग्रेड पे में परिवर्तन विभागीय स्तर से लिए गए निर्णय के उपरांत देय होगा। जो कि लोकायुक्त/निगरानी के स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं प्रोन्नति आदि से संबंधित निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए लिया जाएगा।

(iv) दिनांक 01.01.2006 के पूर्व दिनांक 01.01.1996 की तिथि से जो शिक्षक AICTE द्वारा प्रावधानित तथा राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत प्रोन्नति की पात्रता रखते हो, उन्हें योजना में नियमानुसार सामंजित करने की कार्रवाई कर प्रोन्नति का लाभ देते हुए पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वेतन निर्धारण की सुविधा दी जाएगी।

(v) पुनरीक्षित वेतनमान संबंधी अधिसूचना निर्गत की तिथि से डिग्री स्तरीय संस्थानों के शिक्षकों में सभी नामित पद AICTE द्वारा समकक्ष/समान नामित पद से संबंधित होंगे।

(vi) अभियंत्रण महाविद्यालय के CAS के अंतर्गत प्रोन्नत वर्त्तमान में कार्यरत व्याख्याता (वरीय वेतनमान) व्याख्याता (प्रवर कोटि)/सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक तथा दिनांक 05.01.1979 के पूर्व नियुक्त ए वर्त्तमान में सह प्राध्यापक के रूप में कार्यरत शिक्षकों को स्वीकृत किया जाने वाला वेतनमान उनव

द्वारा वर्त्तमान में धारित पद के अनुरूप व्यक्तिगत वेतनमान होगा तथा जैसे–जैसे वे सेवानिवृत्त होते जाऐंगे या उच्चतर पद पर प्रोन्नत/नियुक्त होते जायेंगे या पदत्याग करेंगे उनके द्वारा धारित पद का पदनाम अभातशिप की अनुशंसा के अनुरूप स्वतः मूल पद पर परिवर्तित होता जाएगा।

(vii) वर्त्तमान कार्यरत व्याख्याता (वरीय वेतनमान)/ व्याख्याता (प्रवर कोटि)/सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक को दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतनमान एवं ए०जी०पी० में वेतन का निर्धारण CAS के अंतर्गत प्रोन्नति से संबंधित निर्गत अधिसूचना में अंकित देय तिथि से वैचारिक रूप से होगा पर पुनरीक्षित वेतनमान का वास्तविक लाभ उक्त अधिसूचना के निर्गत तिथि से देय होगा। CAS से संबंधी विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 1513 दिनांक 01.12.2005 एवं ज्ञापांक 126 दिनांक 03.02.2006 द्वारा दी गई प्रोन्नति का वास्तविक लाभ की तिथि 15.11.2000 के स्थान पर अधिसूचना निर्गत की तिथि लिया जायेगा एवं वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार उक्त अवधि की भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन संबंधित शिक्षकों के पुनरीक्षित वेतनमान् के अंतर भुगतान से कर लिया जायेगा।

(viii) पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण अभातशिप के सुसंगत पत्रों में समावेशित फिटमेंट फार्मूला केन्द्र सरकार द्वारा छठे वेतनमान आयोग नियमावली तथा उसके अंतर्गत राज्य सरकार के सुसंगत प्रावधानों से अच्छादित होगा।

(ix) भत्ते तथा छुट्टी यात्रा रियायत, विशेष भत्ता, वाहन भत्ता, आवास किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता शिक्षक संवर्गो के लिए वही होगा, जो राज्य सरकार के कर्मियों के लिए स्वीकार किया गया हैं।

(x) यदि पुनरीक्षित वेतनमान में परिलब्धियां पुनरीक्षित वेतनमान के उच्चतर स्तर से अधिक हो जाती है तो वैसी स्थिति में पुनरीक्षित वेतनमान में उच्चतर स्तर पर वेतन निर्धारण होगा तथा राशि वैयक्तिक वेतन (आर०पी०पी०) के रूप में देय होगा जो भविष्य में अनुमान्य वेतनवृद्धि से सामंजित किया जा सकेगा।

(xi) वेतन पुनरीक्षण संबंधित AICTE द्वारा समय–समय पर निर्गत सुधार/बदलाव/सेवा शर्त्त इत्यादि जो भी निर्गत होगा, वह डिग्री स्तरीय संस्थान के शिक्षकों के लिए भी आवश्यकता अनुसार निर्णय उपरान्त लागू किया जाएगा।

(xii) वैसे शिक्षकों का जिनकी नियुक्ति/पदस्थापन दिनांक 01.01.1996 के पूर्व विभागान्तर्गत बी०आई०टी० सिंदरी में हुआ है, परंतु जिनकी सेवा का नियमितिकरण/सामंजन किसी कारणवश अभी तक नहीं होने के कारण उन्हें दिनांक 01.01.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति नहीं मिली है, उन्हें यह पुनरीक्षित वेतनमान तभी अनुमान्य होगा जब उन्हें पूर्व का वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त हो जाएगा एवं लाभ प्राप्त होते ही उनका वेतन दिनांक 01.01.2006 से लागू वेतनमान के समतुल्य स्तर, यथोचित पदनाम, वेतनमान एवं ग्रेड पे में निर्धारित होगा।

9 पुनरीक्षित वेतन एवं अन्य भत्तों का कार्यान्वयन :–

(i) पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2010 तक के अवधि के अतिरिक्त राशि बी०आई०टी० सिंदरी में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व/तक स्वीकृत एवं भरे हुए पदों,

का 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि से भुगतेय होगा एवं इसका 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति विहित प्रक्रिया अनुसार विभागान्तर्गत संस्थानों में दिनांक 01.01.2006 के पश्चात हुई हो, उनको भी इस वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा तथा उनके बकाया राशि का 100 प्रतिशत भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) कोई आदेश होने तक डिग्री स्तरीय संस्थान के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में महँगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता, परिवहन भत्ता एवं अन्य भत्तादि राज्य सरकार के कर्मियों को जिस तिथि से भुगतान किया गया है उस तिथि से भुगतेय होगा।

(iii) प्रत्येक लाभान्वितों को इस आशय की एक जिम्मेवारी लेनी होगी कि पुनरीक्षित वेतनमान में किसी भी प्रकार के अधिक/वेतन निर्धारण में त्रुटि होने पर अधिक भुगतान हुए राशि का भविष्य में भुगतान होने वाली राशि से सामंजन नियमानुसार कर लिया जाएगा।

10 व्यवसायिक विकास हेतु अनुदान :–

अभातशिप के अनुशंसित वेतनमान एवं सेवा शर्त्त लागू होने तक डिग्री स्तरीय तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों को व्यवसायिक विकास हेतु अनुदान निम्न प्रकार से होगा :–

(i) नव नियुक्त शिक्षकों को एक बार प्रारंभिक अनुदान के रूप में कम्प्यूटर, शिक्षण सामग्री तथा पुस्तकों, शोध सहायता, कार्यालय सजावट हेतु दो लाख रूपये तक प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त होगा। कार्यरत शिक्षकों को भी प्रोत्साहन अनुदान के रूप में दो लाख रूपये तक मिलेंगे। यह लाभ उन शिक्षकों को भी मिलेगा जिन्हें पूर्व में भी यह सहायता मिली हो।

(ii) सभी शिक्षकों को व्यवसायिक सोसाईटियों की सदस्यता हासिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सभाओं/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने हेतु एक लाख रूपये का अनुदान तीन वर्षों की अवधि के लिए अदायगी होंगे।

11 सेवानिवृत्ति की आयु :–

(i) डिग्री स्तरीय संस्थान के शिक्षकों की सेवा निवृत्ति की आयु वर्तमान में लागू एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भांति 62 वर्ष रहेगी।

(ii) रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा शारीरिक सक्षमता के अध्यधीन, शिक्षक 62 (बासठ) वर्ष की आयु के पश्चात तीन वर्षों तक (65 वर्ष की आयु तक) संविदा पर नियुक्ति या पुनःनियोजित नियमानुसार किए जाऐंगे। यह कार्यरत शिक्षकों के चयन अथवा प्रोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किए बगैर केवल उपलब्ध रिक्त पदों पर ही किया जाएगा।

12 अध्ययन अवकाश/विश्राम अवकाश :–

(i) अभातशिप सेवाकाल के दौरान शिक्षकों एवं समकक्ष पद धारकों को संबंधित विषयों/संकायों में एम०टेक०/डाक्टरेट उपाधि प्राप्त करने हेतु शिक्षकों के रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा

अवकाश संबंधी दिशा निर्देशों को पुनरीक्षित एवं शिथिल करेगा जिससे शिक्षक जो बि पीएच०डी० या उच्चतर शिक्षा के सेवा में आते है, को यह योग्यता यथाशीघ्र हासिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

(ii) तकनीकी शिक्षा एवं उद्योग के बीच सामंजस्य को प्रोत्साहन के लिए अभियंत्रण महाविद्यालय के शिक्षकों को 6 वर्ष तक सेवा पूरी करने के पश्चात् पूरे सेवाकाल में दो बार 6–6 माह के विशेष अवकाश पर उद्योग में काम करने हेतु विभागीय स्तर से निर्णय लिया जाएगा।

13 पेंशन, भविष्य निधि इत्यादि :– यह राज्य सरकार के पदाधिकारियों के अनुसार पूर्ववत रहेगा।

14 कर्मशाला अधीक्षक/पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों के लिए वेतनमान एवं सेवाशर्त्त :–
अभियंत्रण महाविद्यालय में अभातशिप के पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवाशर्त्त आदि लागू होने के उपरांत अभातशिप द्वारा निर्धारित अहर्त्ता/योग्यता के आधार पर नव नियुक्त कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों के लिए अभातशिप का वेतनमान एवं सेवा शर्त्त लागू होगा। पूर्व के नियुक्त कर्मशाला अधीक्षक, पुस्तकालय एवं शारीरिक शिक्षा कर्मियों को राज्य सरकार का पुनरीक्षित वेतनमान लागू रहेगा।

15 स्कीम की प्रायोज्यता :–

(i) यह स्कीम तकनीकी संस्थानों में शिक्षकों तथा समस्त अभातशिप अनुमोदित संस्थानों में पुस्तकालय के अन्य समकक्ष संवर्गो तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए लागू होगी। संशोधित वेतनमानों का क्रियान्वयन इस पत्र में उल्लिखित तथा इस संबंध में अभातशिप द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्वीकृति के अध्यधीन होगा।

(ii) यह स्कीम व्यवसायिक पदों जैसे प्रणाली विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, अनुसंधान अधिकारी आदि तक विस्तारित नहीं की गई है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के शोध/वैज्ञानिक संगठनों में समान अर्हतावाले कार्मिकों के समकक्ष माना जाएगा।

(iii) यह स्कीम राज्य विधानमंडलों के अंतर्गत आने वाली समस्त तकनीकी संस्थानों पर लागू होगी बशते कि राज्य सरकार निम्नलिखित निबंधन और शर्त्तो पर स्कीम को अपनाना और कार्यान्वित करना चाहती है। स्कीम के अंतर्गत शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्ग के वेतनमानों को संशोधित करने का विकल्प देने वाली राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2010 तक संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक ही सीमित होगी। वेतन के संशोधन के लिए विकल्प देने वाली राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय की शेष 20 प्रतिशत पूर्ति अपने संसाधनों से करेगी।

16 संकाय मानदण्ड एवं नियुक्ति की प्रक्रिया :–

(क) संकाय मानदण्ड– विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक/तकनीकी/अर्हता/योग्यता एवं अनुभव अभातशिप द्वारा दिनांक 05.03.2010 के विनियम एवं इसमें समय–समय पर किए गए संशोधन के अनुसार रहेगा जो सक्षम स्तर से स्वीकृति के पश्चात लागू होगा।

(ख) नियुक्ति की प्रक्रिया :– सभी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभाग द्वारा निर्धारित नियमानुसार की जायेगी।

(i) सहायक प्राफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के स्तर पर प्रारंभिक सीधी भर्त्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध आपेक्षाओं के संबंध में पात्रता, शर्त्तें वे होगी जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाए अथवा निर्दिष्ट की गई है तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित की जाती है एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत हो।

(ii) तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्यो/निदेशक के पदों के लिए नियुक्तियाँ अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अहर्त्ता शर्त्तो के आधार पर होगी एवं सक्षम स्तर से स्वीकृत हो।

(iii) उच्चतर योग्यता, शोध प्रकाशनों की उच्च संख्या तथा उपयुक्त स्तर पर अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के रूप में व्यवसाय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के लिए अग्रिम वेतन वृद्धियों का विवेकपूर्ण रूप से प्रदान किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय तथा नियोजन संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की सक्षमता के अधीन होगा जिसके लिए संकाय में अन्य शिक्षकों की वेतन संरचना तथा अन्य विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणागुण के संदर्भ में वैयक्तिक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी।

(iv) पीएच०डी० की समकक्षता 5 अंतर्राष्ट्रीय जरनल के प्रकाशन पर आधारित है जिसमें से प्रत्येक जरनल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।

(v) पीएच०डी० मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

(vi) सहायक प्रोफेसर के पदधारी के लिए सहायक प्रोफेसर के स्तर पर अनुभव को एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, वशर्त्ते कि पदधारी सहायक प्रोफेसर ने प्रासंगिक विषय क्षेत्र में पीएच०डी० डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल कर रहा हो।

(vii) डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव को डिग्री संस्थाओं के अनुभव के समकक्ष स्तर पर तथा यथा लागू अनुसार भी विचार किया जाएगा तथापि उपर्युक्त अहर्त्ताएं अनिवार्य होंगी।

17. बी0आई0टी0 सिन्दरी में दिनांक 01.01.2006 को सृजित पद पर कार्यरत रहे शिक्षकों का दिनांक 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि का बकाया वेतनादि का भुगतान इस अवधि में होने वाले अतिरिक्त व्यय भार के 80% (अस्सी प्रतिशत) अंश केन्द्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से प्राप्त होने तथा 20% राज्य सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार) की स्वीकृति प्राप्त कर तथा दिनांक 01.04.2010 से उनके एवं 01.01.2006 के पश्चात नियुक्त शिक्षकों को बकाया वेतनादि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

18. उक्त अनुशंसाओं के क्रम में अभातशिप द्वारा समय–समय पर निर्गत Clarifications / संशोधन के आधार प वित्त विभाग की सहमति से प्रशासी विभाग इस संबंध में निर्गत संकल्प को सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त क संशोधित कर सकेगा।

19. अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को यह विकल्प दिया जायेगा कि यदि वे चाहें तो अपुनरीक्षित वेतनमान में ही बने रहें किन्तु उस तरह दिया गया कोई विकल्प बाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा संबंधित शिक्षकों को इस आशय का विकल्प आदेश निर्गत की तिथि से तीस (30) दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से दे देना होगा। जो शिक्षक इस अवधि में अपना विकल्प लिखित रूप से नहीं देंगे उनके संबंध में मान लिया जायेगा कि वे नये वेतनमान एवं तदनुरूप सेवा शर्त में रहेंगें।

20. इस आदेश द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्त लागू करने के क्रम में सरकार के संबंधित नियम / परिनियम तदनुसार संशोधित समझे जाएंगे।

आदेश:– *आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग / विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले॰ एवं हक) झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।*

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –
(एल0 खियांग्ते)
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि0प्रा0रस्था0(बी0आई0टी0)रा0–17 / 10 / राँची, दिनांक:–
प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि0प्रा0रस्था0(बी0आई0टी0)रा0–17 / 10 / राँची, दिनांक :–
प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

727

ज्ञापांक : वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)रा0—17 / 10 / राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची / वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)रा0—17 / 10 / राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपि :— सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, 7वीं मंजील, चन्द्रलोक बिल्डींग, जनपत, नई दिल्ली—110001 / सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)रा0—17 / 10 / राँची, दिनांक :—

प्रतिलिपि :—आप्त सचिव, माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग / निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक : वि0प्रा0स्था0(बी0आई0टी0)रा0—17 / 10 784 / राँची, दिनांक :— 31-3-12

प्रतिलिपि :— निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी / प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / सभी राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक / विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के सभी पदाधिकारी / सभी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

31/3/12
सरकार के सचिव,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
झारखण्ड, राँची।